

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-227 / 2019

तरंगणी देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... उत्तरदाता गण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनन्दा सेन
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

अपीलार्थी के लिए : श्री प्रेम पुजारी रॉय, अधिवक्ता

प्रतिवादी (ओं) के लिए : जी०ए०-1 के ए०सी०

03/09.10.2020 याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिनांक 4.2.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के कारण, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-6533/2017 को खारिज कर दिया गया है। वह आगे कहता है कि गलती से, वह समय के भीतर त्रुटि को अनुल्लंघनीय समय के अंदर दूर नहीं कर सका। वह यह भी निवेदन करता है कि जैसे ही डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-6533/2017 को पुनःस्थापित किया जाएगा, वैसे ही त्रुटियों को हटा दिया जाएगा।

पूर्वोक्त सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका की अनुमति है। नतीजतन, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-6533/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को चार सप्ताह के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।

(आनंदा सेन, न्याया०)